संख्या:110/2022/289/35-4-2022

प्रेषक,

ऋषिकेश दुबे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देवरिया।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 29 मार्च, 2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनपद देवरिया की विधान सभा क्षेत्र- रामपुर कारखाना में शासनादेश संख्या-269/2021/2103/35-4-2021, दिनांक 30 नवम्बर, 2021 द्वारा सड़क निर्माण से सम्बंधित 12 कार्यों की रू. 301.93 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 166.10 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। जिलाधिकारी के पत्र सं0-182/त्व0आ0वि0यो0/2021-22, दिनांक 24 मार्च, 2022 द्वारा उक्त शासनादेश से स्वीकृत कार्यों में से निम्नांकित 09 कार्यों हेतु अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष पूर्ण व्यय होना इंगित किया गया है। एतद्द्वारा उक्त सन्दर्भित शासनादेश से स्वीकृत 12 कार्यों में से निम्नांकित 09 कार्यो की लागत रू. 246.62 लाख के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त धनराशि रू0 135.00 लाख को समायोजित करते हुए अवशेष देय रू. 111.62 लाख (रूपये एक करोड ग्यारह लाख बासठ हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(रू. लाख में)

	कार्य	**अनुमोदित लागत**	**पूर्व में अवमुक्त धनराशि**	**अवमुक्त धनराशि**
1	ग्राम सभा पगरा तिवारी, वि0ख0-रामपुर कारखाना में ट्रांसफार्मर से लाल बहादुर के घर होते हुए नव निर्माण आर0सी0सी0 निर्माण	22.55	15.00	7.55
2	ग्राम सभा बसन्तपुर धूसी, वि0ख0-तरकुलवा में बसन्तपुर धूसी चन्हौता मार्ग के बीच में छूटी हुई आर0सी0सी0 निर्माण	21.58	15.00	6.58
3	ग्राम सभा शाहपुर पुरैनी, वि0ख0- पथरदेवा में हरेन्द्र यादव के घर से ग्यास गुप्ता के घर तक आर0सी0सी0 निर्माण	26.20	15.00	11.20
4	ग्राम सभा सवरेजी, वि0ख0-भटनी में प्रा0 विद्यालय सवरेजी से शर्मा तिवारी के घर तक आर0सी0सी0 निर्माण	31.87	15.00	16.87
5	ग्राम सभा बहरा डाबर वि0ख0-भटनी में भाटपार भटनी मुख्य मार्ग से आशा ओझा के घर तक आर0सी0सी0 निर्माण	30.93	15.00	15.93
6	ग्राम सभा नागभार, वि0ख0रामपुर कारखाना में देवरिया गोरेया पिच मार्ग से इन्द्रदेव प्रसाद के घर तक आर0सी0सी0 निर्माण	28.97	15.00	13.97
7	ग्राम सभा बनरही, वि0ख0-सलेमपुर में अमही टोला से रामस्वरूप के खेत होते हुए रामजी यादव के दरवाजे तक आर0सी0सी0 निर्माण	20.74	15.00	5.74
8	ग्राम सभा पुतरी वि0ख0-सलेमपुर में पुतरी मोड़ से चौथिया ग्राम सभा तक आर0सी0सी0 निर्माण	43.16	15.00	28.16
9	ग्राम सभा गौरकोठी में लालबहादुर गौंड के घर से पूरब की तरफ इण्टरलांकिग	20.62	15.00	5.62
	योग	**246.62**	**135.00**	**111.62**

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 30 नवम्बर, 2021 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि एक सप्ताह के अन्दर नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

4- इस शासनादेश से उक्त कार्यों के लिए अनुमोदित लागत के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि का आवंटन हो जाता है। कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

5- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2022 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2022 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2022 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7- वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए स्वीकृत बजट के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22 मार्च, 2021 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8- कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था द्वारा सम्परीक्षित लेखे अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायेंगे।

2- उपर्युक्त कार्यों पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-03-ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़को के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ऋषिकेश दुबे)
विशेष सचिव।

संख्या:110/2022/289(1)/35-4-2022 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- प्रमुख सचिव, विधान सभा।
7- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
8- मण्डलायुक्त, गोरखपुर।
9- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0।
10- मुख्य विकास अधिकारी, देवरिया।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देवरिया।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, देवरिया।
14- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, देवरिया।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दुबे)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in